<u>प्रेस-विज्ञप्ति</u>

<u>गांव-मोहल्ला जनसंपर्क अभियान</u>

उत्तर प्रदेश शासन की प्राथमिकता के क्रम में पुलिस और जनता के मध्य और अधिक मधुर सम्बन्ध स्थापित करने हेतु गांव-मोहल्ला जनसंपर्क अभियान का प्रारम्भ किया गया है, जिसके क्रम में आजमगढ़ पुलिस द्वारा **प्रतिदिन 1.5 घण्टा (सायं 04.45 बजे से 06.15 बजे तक)** गांव-मोहल्ला जनसम्पर्क अभियान किया जा रहा है जिसमें दिनांक- 07.02.2024 से अब तक समस्त **थाना प्रभारियों द्वारा 500 से अधिक गांवो** में तथा **क्षेत्राधिकारी गणों द्वारा 100 से अधिक गांवों** में जाकर भ्रमण कर जनसंपर्क किया गया हैं।

➡जिसके क्रम में आज दिनांक- 19.02.2024 को समय 17.00 बजे **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा थाना गम्भीरपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अमोड़ा मोहिद्दीनपुर** में जनसंपर्क किया जायेगा।

➡ **<u>समस्त थानों पर नियुक्त उप-निरीक्षक/ हे0का0/का0</u>** द्वारा प्रतिदिन **1.5 घण्टे (सायं 04.45 बजे से 06.15 बजे)** तक अपने-अपने हल्का/बीट के एक गांव में प्रतिदिन जायेंगे और गांव के 10 सम्भ्रान्त व्यक्तियों से संवाद स्थापित कर उनका मोबाइल नम्बर अपने बीट पुस्तिका में अंकित कर अपना मोबाइल नम्बर उनसे साझा किया जा रहा है।

➡ समस्त **<u>थाना प्रभारी/अपराध निरीक्षक/वरिष्ठ उप-निरीक्षक</u>** द्वारा प्रतिदिन **1.5 घण्टे (सायं 04.45 बजे से 06.15 बजे)** तक अपने थाना क्षेत्र के 02 अलग- अलग संवेदनशील ग्राम/मोहल्ला/कस्बा में पैदल गश्त कर गांव के सम्भ्रान्त व्यक्तियों से संवाद स्थापित कर 10 सम्भ्रान्त व्यक्तियों का मोबाइल नम्बर अपने बीट पुस्तिका में अंकित कर अपना मोबाइल नम्बर उनसे साझा किया जा रहा है।

➡**<u>समस्त क्षेत्राधिकारी</u>** द्वारा प्रतिदिन **1.5 घण्टे (सायं 04.45 बजे से 06.15 बजे)** तक अपने- अपने सर्किल के किसी एक थाने के चिन्हित 01 गांव में जाकर पैदल के दौरान ग्राम अपराध पुस्तिका में अंकित 10 वर्ष के पूर्व तक घटित घटनाओं से सम्बधित अपराधियों का सत्यापन कर रहें है, यदि कोई प्रतिद्वदिता है, तो नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

➡**<u>अपर पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण</u>** द्वारा अपने- अपने क्षेत्र के एक थाने के चिन्हित 01 गांव में जाकर पैदल किया जायेगा तथा पैदल गश्त के दौरान प्रत्येक ग्राम/मोहल्ला/कस्बा के सम्भ्रान्त व्यक्तियों से संवाद किया जा रहा है तथा 10 सम्भ्रान्त व्यक्तियों के नाम व मोबाइल नम्बरों को जनसम्पर्क रजिस्टर में नोट कर अपना मोबाइल नम्बर सम्भ्रान्त व्यक्तियों के साथ साझा किया जा रहा है।

उपरोक्त सभी अधि0/कर्म0 गणों के कार्यों का विवरण निम्नवत है।

➡ पैदल गश्त किये जाने वाले ग्राम/मोहल्ला/कस्बा के ग्राम अपराध पुस्तिका में अंकित 10 वर्ष के पूर्व तक घटित घटनाओं से सम्बन्धित अपराधियों का सत्यापन कर रहें है, यदि कोई प्रतिद्वदिता है, तो नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

➡ पैदल गश्त के दौरान भूमि/जातिगत/साम्प्रदायिक व अन्य विवाद के बार में जानकारी कर नोट किया जा रहा है तथा 10 दिवस में नियमानुसार निस्तारण कराया जा रहा है।

➡ पैदल गश्त के दौरान जनसेवा केन्द्रों/बैंको में अधिक-से-अधिक सी0सी0टी0वी कैमरा लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

➡ पैदल गश्त के दौरान प्रत्येक ग्राम/मोहल्ला/कस्बा के सम्भ्रान्त व्यक्तियों से संवाद किया जा रहा है तथा 10 सम्भ्रान्त व्यक्तियों के नाम व मोबाइल नम्बरों को जनसम्पर्क रजिस्टर में नोट कर अपना मोबाइल नम्बर सम्भ्रान्त व्यक्तियों के साथ साझा किया जा रहा है।

➡ पैदल गश्त के दौरान आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अपेक्षित सूचनाएं संकलन किया जा रहा है।

नोट- उपरोक्त अभियान की समीक्षा पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा प्रतिदिन की जा रही है व समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिया जा रहा है, जिससे गांव-मोहल्ला संवाद अभियान को अधिक से अधिक सफल बनाया जा सकें।